रिविजनल सिविल

माननीय न्यायाधीश आर. एस. नरूला सी. जे. के समक्ष

नगीना, - याचिकाकर्ता।

बनाम

ग्राम पंचायत, - उत्तरदाता।

1974 का सिविल संशोधन संख्या 881

9 फरवरी, 1976

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम (1961 का 18) - धारा 7 (1) से (4) - पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा दूसरा संशोधन अधिनियम (1973 का 47) - धारा 5, 9 (1) और (2) (क) - कलेक्टर के समक्ष लंबित सहायक कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील - ऐसी लंबित कार्यवाही के दौरान संशोधन अधिनियम लागू होना - कलेक्टर के अपीलीय आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील को वरीयता देने का अधिकार - क्या संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है।

और रूप पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) को पढ़ने से पता चलता है कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 7 की उप-धारा (4) को निरस्त करने के बावजूद, संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख को कमिश्नर के समक्ष लंबित दूसरी अपीलों को बचा लिया गया है और उन्हें स्पष्ट रूप से जीवित रखा गया है। धारा 9 की उप-धारा (2) में निहित व्यक्त प्रावधानों का दूसरा भाग यह है कि एक दूसरी अपील, जिसे आमतौर पर आयुक्त को प्रधान अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत प्राथमिकता दी जा सकती है, संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कलेक्टर द्वारा तय किए गए मामलों के संबंध में स्पष्ट रूप से सहेजी गई है। संविधियों की व्याख्या का यह सर्वविदित सिद्धांत है कि विधायिका से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह किसी अधिनियम में अर्थहीन रूप से कोई प्रावधान करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संशोधन अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अभाव में आयुक्त के समक्ष लंबित सभी अपीलों का निपटान किया जाना था और संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले सहायक कलेक्टर के साथ शुरू हुई कार्यवाही में कलेक्टर का प्रत्येक निर्णय दूसरी अपील के अधिकार के अधीन होगा। तथ्य यह है कि विधानमंडल ने मामलों के तीन संभावित सेटों में से दो को बचाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया है, जिसे आयुक्तों द्वारा सुना और तय किया जा सकता है, यह दर्शाता है कि हरियाणा विधानमंडल ने संशोधन अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के संचालन द्वारा आवश्यक इरादे से दूसरी अपील का अधिकार छीन लिया है, जो अन्यथा एक वादी में निहित होता जिसके खिलाफ कलेक्टर ने अपने संशोधन-पूर्व मामले का फैसला किया होगा। संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अपील में। इस प्रकार, आवश्यक इरादे से विधायिका ने दूसरी अपील का अधिकार छीन लिया है जो मूल रूप से प्रधान अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदान किया गया था, एक वादी से जिसकी मुकदमेबाजी संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई थी, बशर्ते कलेक्टर ने संशोधन अधिनियम के शुरू होने से पहले उन कार्यवाहियों से उत्पन्न अपनी अपील पर फैसला नहीं किया हो।

(पैरा 5)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आवेदन आयुक्त के आदेश की प्रार्थना करता है। 18 जून, 1974 के अंबाला के आदेश को रद्द किया जाए और उसे गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता सहायक कलेक्टर और कलेक्टर के आदेश को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, अगर यह माना जाता है कि आयुक्त के समक्ष कोई अपील सक्षम नहीं थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अरुण जैन, एडवोकेट_

प्रतिवादी की ओर से वकील वीके बाली

निर्णय

आर. एस. नरूला, सी.जे. (मौखिक)

1. 18 जून, 1974 को अंबाला डिवीजन के आयुक्त के आदेश के संशोधन (1974 की संख्या 881 से 883) के लिए इन तीन याचिकाओं में से प्रत्येक में निर्णय की मांग करने वाला कानून का सामान्य सवाल यह है कि क्या पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम की धारा 7 (4) के तहत दूसरी अपील को प्राथमिकता देने का अधिकार है। 1961 (इसके बाद प्रधान अधिनियम के रूप में संदर्भित) को पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) हरियाणा द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1973 (इसके बाद संशोधन अधिनियम कहा जाता है) की धारा 5 द्वारा एक वादी से छीन लिया गया है या नहीं लिया गया है, जिसकी प्रधान अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ धारा 7 (3) के तहत पहली अपील 30 नवंबर को कलेक्टर के समक्ष लंबित थी। 1973, वह तारीख और जिसके प्रभाव से संशोधन अधिनियम लागू हुआ था

2. चूंकि यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है कि इन मामलों के तथ्यों में कोई भौतिक अंतर नहीं है और एक का निर्णय तीनों को नियंत्रित करेगा, इसलिए मुझे केवल 1974 के सिविल संशोधन संख्या 881 (नगीना बनाम नगीना बनाम *नगीना* मामले) *के प्रासंगिक तथ्यों को देने की आवश्यकता है।ग्राम पंचायत)।* प्रतिवादी-पंचायत ने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रधान अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत पंचायत को उस भूमि के कब्जे में रखने के लिए एक आवेदन दायर किया जो नगीना याचिकाकर्ता के कब्जे में थी और जिसे प्रतिवादी-पंचायत में निहित होने का दावा किया गया था। प्रधान अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत पंचायत के आवेदन को धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत 25 सितंबर, 1973 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। प्रधान अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) निम्नलिखित शब्दों में थीं:-

"7 (3) सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील कलेक्टर के पास होगी।

कलेक्टर के अपीलीय आदेश से अपील आयुक्त के पास होगी।

3. याचिकाकर्ता ने 30 नवंबर, 1973 को संशोधन अधिनियम लागू होने पर सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ कलेक्टर को अपनी अपील

को प्राथमिकता दी थी। संशोधन अधिनियम की धारा 5 के खंड (i), प्रधान अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) (जिसके तहत कलेक्टर के अपीलीय आदेश के खिलाफ अपील आयुक्त को प्रदान की गई थी) के संचालन को हटा दिया गया था। कलेक्टर ने 5 फरवरी को याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया था। 1974 में, आयुक्त के समक्ष उनके द्वारा एक दूसरी अपील दायर की गई (हालांकि गलती से एक संशोधन याचिका के रूप में वर्णित किया गया)। आयुक्त के 18 जून, 1974 के आदेश द्वारा उस अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद प्रिंसिपल एक्ट की धारा 7 (3) के तहत कलेक्टर के अपीलीय आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है। संशोधन के लिए इन तीन याचिकाओं में उस निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है।

4. गरिकापति वीराया ***बनाम सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों पर भरोसा करते हुए एन सुब्बैया चौधरी और अन्य***,[1] और ***बॉम्बे राज्य*** **बनाम मैसर्स *याचिकाकर्ताओं के वकील सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड***[2] ने तर्क दिया है कि मुकदमे की संस्था के साथ यह निहितार्थ है कि उस समय लागू अपील के सभी अधिकार पक्षकारों को मुकदमे के शेष करियर तक संरक्षित हैं, और यह कि एक उपाय, मुकदमा की कानूनी खोज, अपील और दूसरी अपील वास्तव में हैं, लेकिन कार्यवाही की एक श्रृंखला में कदम सभी आंतरिक एकता से जुड़े हैं और उन्हें एक कानूनी कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए। ***गरिकापति वीराया के मामले*** (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द हैं। उन्होंने इस सर्वविदित सिद्धांत पर भी जोर दिया है कि अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का अधिकार नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। इस आधार पर यह तर्क दिया गया है कि मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) द्वारा याचिकाकर्ता को प्रदान की गई दूसरी अपील का अधिकार संशोधन अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले शुरू किया गया था और उक्त अधिकार को संशोधन अधिनियम में निहित किसी भी चीज़ द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं छीना गया था। अधिनियम, आयुक्त का आदेश उसे अस्वीकार करता है कि अधिकार अवैध है और इसे उलट दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अरुण जैन द्वारा प्रचारित कानून के प्रस्ताव के साथ न तो कोई झगड़ा है, न ही हो सकता है।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री बाली ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव पर उनके साथ मुद्दे में शामिल हुए बिना, मुझे समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित कानूनी सिद्धांत का उल्लेख किया कि एक सक्षम विधायिका द्वारा एक वास्तविक या निहित अधिकार को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से छीना जा सकता है। उनका तर्क यह है कि प्रधान अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत दूसरी अपील को प्राथमिकता देने के याचिकाकर्ता के मूल अधिकार को छीनने के हरियाणा विधानमंडल के इरादे को संशोधन अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) द्वारा आवश्यक निहितार्थ द्वारा छीन लिया गया है, जो धारा निम्नानुसार है: —

> (1) इस अधिनियम के लागू होने पर कलेक्टर के समक्ष लंबित अपीलों का निपटान उसके द्वारा किया जाएगा जबकि अन्य कार्यवाही प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को हस्तांतरित की जाएगी।
>
> (2) इस अधिनियम के लागू होने से पहले कलेक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से आयुक्त के पास अपील की जाएगी; लेकिन इस अधिनियम के लागू होने पर आयुक्त के समक्ष लंबित अपीलों का निपटान उनके द्वारा किया जाएगा।

संशोधन अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) को पढ़ने से पता चलता है कि प्रधान अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के निरसन के बावजूद, संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख पर आयुक्त के समक्ष लंबित दूसरी अपीलों को बचा लिया गया है और उन्हें स्पष्ट रूप से

---

[1] ए.आई.आर. 1957 एस, सी: 540

[2] ए.आई.आर., 1960 एस.सी.: 980

जीवित रखा गया है। धारा 9 की उप-धारा (2) में निहित व्यक्त प्रावधानों का दूसरा हिस्सा यह है कि एक दूसरी अपील जिसे आमतौर पर आयुक्त को प्रधान अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के तहत प्राथमिकता दी जा सकती है, संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कलेक्टर द्वारा तय किए गए मामलों के संबंध में स्पष्ट रूप से सहेजी गई है। श्री बाली का तर्क यह है कि भले ही संशोधन अधिनियम की धारा 9 (2) में आयुक्त को प्राथमिकता देने वाले कलेक्टर के संशोधन-पूर्व निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं था, लेकिन ऐसी अपील ऊपर उल्लिखित कानून के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार की गई होगी, और इस संबंध में एक विशेष प्रावधान किया गया है, इसमें संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के बाद पारित कलेक्टर के किसी भी आदेश के खिलाफ दूसरी अपील को प्राथमिकता देने का अधिकार शामिल नहीं है। संविधियों की व्याख्या का यह सर्वविदित सिद्धांत है कि विधायिका से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह किसी अधिनियम में अर्थहीन रूप से कोई उपबंध करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संशोधन अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अभाव में, आयुक्त के समक्ष लंबित सभी अपीलों का निपटारा किया जाना था और 30 नवंबर, 1973 से पहले सहायक कलेक्टर के साथ शुरू हुई कार्यवाही में कलेक्टर का प्रत्येक निर्णय दूसरी अपील के अधिकार के अधीन होगा। तथ्य यह है कि विधानमंडल ने मामलों के तीन संभावित सेटों में से दो को बचाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया है, जिसे आयुक्तों द्वारा सुना और तय किया जा सकता है, यह दर्शाता है कि हरियाणा विधानमंडल ने संशोधन अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के संचालन के माध्यम से दूसरी अपील के अधिकार को आवश्यक इरादे से छीन लिया है, जो अन्यथा एक वादी में निहित होता जिसके खिलाफ कलेक्टर ने अपने संशोधन-पूर्व मामले का फैसला किया होगा। 30 नवंबर, 1973 के बाद अपील में। मुझे धारा 9 की उप-धारा (2) अधिनियमित करने के लिए विधायिका द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। अत, मुझे श्री बाली के इस निवेदन में बल मिलता है कि आवश्यक इरादे से विधायिका ने दूसरी अपील का अधिकार छीन लिया है जो मूल रूप से मूल रूप से प्रधान अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) द्वारा प्रदान किया गया था, जिसका मुकदमा संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुआ था, बशर्ते कि कलेक्टर ने संशोधन शुरू होने से पहले उन कार्यवाहियों से उत्पन्न अपनी अपील पर निर्णय न लिया हो। ढोंग। ऐसा होने के नाते, मैं आयुक्त द्वारा पारित किसी भी आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूं और परिणामस्वरूप सभी तीन पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर देता हूं, हालांकि लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

- ^ $

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी